

Final NOC

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/114412/GZB/GHAZIABAD/6720/CFO

दिनांक : 12-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **RALLI INTERNATIONAL SCHOOL** पता **NITI KHAND-3, INDIRAPURAM, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** प्लॉट एरिया **4738.25 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया

4417.90 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BASEMENT GROUND MEZZ AND 02 FLOOR	4	1	13.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **RALLI INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SIDDHARTH RALLI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **16-04-2024** से **16-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RALLI INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RALLI INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : यह अनापत्ति प्रमाण निम्न उपबन्धों के अधीन एनबीसी-2016 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष में न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये। 3-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-04-2024

स्थान : GHAZIABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Rahul Pal

AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA

16-04-2024

S. K. Singh

Neha Ralli

CHAIRMAN/MANAGER **PRINCIPAL**
RALLI INTERNATIONAL SCHOOL **RALLI INTERNATIONAL SCHOOL**
Nitikhand - III, Indirapuram Nitikhand - III, Indirapuram
Ghaziabad-201010 Ghaziabad-201010

Note: Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.